

कार्यहीन आवृक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

नंबर : देश शासन २४ / ३१ / २०१३ / । है ३३७

गोपाल, दिनांक २६/११/१३

अस्तु

ठिठदाहु, चौला, शास्त्राघाट, सिवनी, किंतोरी कटनी, खड़वा, खरगोन, झाडुआ
जनरीय, अनुसुर, हहडील, सिंगरोली, सीधी होशंगाघाट, वैतूल, हरदा, सीहोर,
महाराष्ट्र।

दिवान :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में २० कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना - माननीय मुख्यमंत्री जी की
ओरेना ए-२५५

-०-

जय, प्रधान मंत्री, आदिव जाति कल्याण विभाग के पक्ष द्वारा एफ ३-३/२०१२/२५-२
/२०१४ अंतिम, दिनांक १६ दिसंबर, २०१३ द्वारा २० कन्या शिक्षा चरित्र खोलने की स्वीकृति प्रदान
की गई है (आदेश की छापाच्छाति संलग्न है)।

इन्हाँ उन्हीं शिक्षा परिसर में २४३ सीट होंगी, जिसमें ८० प्रतिशत आदिवासी वर्गिकारों के
साथ-साथ २० अनिवार्य सभी वर्गों की बालिकाओं को प्रदेश दिया जा सकेगा। प्रथम बार में कक्षा
६ के लिए इसी उद्योग जाना है तथा अगमो दर्जे से कमसा अगली कक्षा में प्रवेश की जाएगी ही समाज
में उपर्युक्त है। इस संचालन अनुसार ही आदर्शक शैक्षणिक अनुसन्धान/विद्युत श्रेणी वर्गिकारी की कमिटी
द्वारा संचालित जारी की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन आदिव जाति कल्याण विभाग के पक्ष कं० एफ-१२-०१/२०१३/
२५-२/३०० दिनांक ०४ अक्टूबर, २०१३ द्वारा विभागीय कन्या शिक्षा परिसरों एवं विशिष्ट संस्थाओं में प्रद
देश करने के लिए गठन किया गया है। (आदेश की छापाच्छाति संलग्न है)। प्रथम चरण में कक्षा ६
के लिए इन्हीं उन्नीस उन्नीस बालिका, अवैधिक, दिक्षिक एवं अनुर्ध्व श्रेणी पदों की जारीयती की जाए
है। चरण द्वितीय चरित्र के लिए इन्हें अनुसन्धान हेतु २४५ सीट के लाला भदन, शावाला भदन एवं
विकासीय अवास यहाँ निर्माण घेवजल टंकों, आदि की व्यवस्था की जाती है। इन्हें देशीय देशीय
मंडन कार्यक्रम में होने पर अधिकतम ल. २३५२०/- मासिक किशाये के उपर्युक्त भवन का उदार किया
जाना शिक्षा नियंत्रण कलेक्टर से कराकर भवन व्यवस्था की जावे।

कम्पनी शिक्षा चरित्र के लिए स्वीकृत प्रदेश संरक्षण अनुसार लगभग ७ से १० एकड़ मूले की
आवश्यकता होती है, आदर्शक भूमि निर्वाचित कर नक्शा खसरा उपलब्ध कराएं ताकि कन्या शिक्षा
चरित्र के लिए हेतु भवन को स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।

कृपया संस्था जारी कर कक्षा ६ में ऐवंशित बालिकाओं की संख्या एवं प्रारंभ दिनांक से
अवगत रहने वाले दाट करें।

(उमाकांत शर्मा)

आवृक्त

०१ आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

का एफ-3-3/2013/25-2/2104

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

भायुका,
आदिवासी विकास न प्र
भोपाल

विषय - वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना बाबत - मा. मुख्य मंत्रीजी की धोषणा क्रमांक-ए 2665

कदम - आपकी यूओटीप क्रमांक 7861, दिनांक 5.4.2013, यूओटीप क्रमांक 16362, दिनांक 14.8.2013 एवं मान मर्दीजी की टीप दिनांक 1.9.2013

12 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसरों को आदिवासी विकास खण्डों में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 29.40 प्रतिशत ने जिन विकासखण्डों की साक्षरता दर् कम है, ऐसे महिला साक्षरता वाले 20 विकासखण्डों में कन्या साक्षरता वृद्धि के लिये 20 आवासीय 245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर सहनिति प्रदान की गई है। यह स्थीरकृति नियंत्रिय-परिषद की बैठक दिनांक 28.8.2012 द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना एवं एवं निर्णय द्वारा निर्णय लिया गया है।

गत्य घासन रत्न द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना हेतु राशि रूपये 17520 लाख (रु सत्रह हजार पाँच सौ बीस लाख मात्र) की नियन्त्रिति 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना एवं एवं नियन्त्रण द्वारा वित्तीय एवं व्रासकीय स्थीरकृति प्रदान की जाती है।

मान प्रस्तुवित दिक्कास खण्ड (मुख्यालय) जिला
का नाम

1	2	3
1	चिंचोली	बैतूल
2	तानिया	छिन्दपाड़ा
3	बीड़िया	मण्डला
4	सिदनी	सिदनी
5	बालाघाट	बालाघाट
6	मण्डला	मण्डला
7	डिल्डोरी	डिल्डोरी
8	उमरिया	उमरिया
9	अनुपपुर	अनुपपुर
10	शहडोल	शहडोल
11	आशोकुर (वे.ख. खालवा)	खण्डवा
12	सिंगरौली	तिंगरौली
13	सीतोरा	सीतोरा

.....निरन्तर.....2

कायोलय आयुक्त, आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश

क्र./शिक्षा शाला 2/84/2017/20807
प्रति.

भोपाल दिनांक 4/8/17

कलेक्टर,

जिला-धार, श्योपुर, खण्डवा, खरगौन, झाबुआ, इंदौर, वालाघाट, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, कटनी, मण्डला, शिवपुरी, सिंगराती, सिवनी, डिण्डोरी, लिंदवाडा हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, रतलाम, शहडोल, सीधी, रीहोर, उमरिया, अनूपपुर, अलीराजपुर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर।

विषय:- 12वीं पंचवर्षीय योजना में विभाग द्वारा स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसरों का युक्तीयुक्ताकरण के पश्चात 80 कन्या शिक्षा परिसरों की स्वीकृति।

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ3-1/2016/25-2/1273 दि. 24.07.2017 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसरों के स्वीकृति आदेशों को अधिकमित करते हुए अंतिम रूप से 80 कन्या शिक्षा परिसर (490 सीट) के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

2. मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ3-1/2016/25-2/1275 दि. 24.07.2017 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 11 कन्या शिक्षा परिसरों को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	कन्या शिक्षा परिसर का स्थान	विकासखण्ड	जिला	वर्ष
1	ठीकरी	ठीकरी	बड़वानी	2015-16
2	पतनार	पाली	उमरिया	2015-16
3	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	2016-17
4	सागर	सागर	सागर	2016-17
5	रीवा	रीवा	रीवा	2016-17
6	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	2016-17
7	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	2016-17
8	गुना	गुना	गुना	2016-17
9	पन्ना	पन्ना	पन्ना	2016-17
10.	दमोह	दमोह	दमोह	2016-17
11	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	2016-17

कृपया अवगत हों।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विकास
मंत्रालय

6 1955 11/08/17